



DELHI POLICE

NOTICE

DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF HEAD CONSTABLE (ASSISTANT WIRELESS OPERATOR/TELE-PRINTER OPERATOR) IN DELHI POLICE EXAMINATION, 2019

ONLINE REGISTRATION OPENING DATE: 28.12.2019

ONLINE REGISTRATION CLOSING DATE: 27.01.2020

COMPUTER BASED EXAMINATION: TO BE NOTIFIED LATER

Official website: www.delhipolice.nic.in

Online applications are invited from Male and Female Indian citizens for filling up the following vacancies for the post of temporary Head Constable (Assistant Wireless Operator/Tele-printer Operator) (Group 'C') in Delhi Police in Level-4 in pay matrix (₹25500-81100) plus usual and admissible allowances to the Central Government Employees from time to time. They will be governed under Delhi Police Act and Central Civil Services Rules applicable to other members of the force and other Acts and Rules applicable from time to time. On appointment they shall be entitled for the pension benefits as per the "New Restructured Defined Contributory Pension Scheme" applicable for the new entrants to the Central Government Services with effect from 01.01.2004:-

Name of Post			No. of Vacancies*						Pay Matrix Level
			GEN./UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	
Head Constable (AWO/TPO)	Male	Open	134	40	93	76	49	392	Pay Matrix Level-4 (₹ 25500-81100)
		Departmental	15	04	10	08	06	43	
	Female	Open	67	19	45	38	24	193	
		Departmental	07	02	05	04	03	21	
TOTAL			223	65	153	126	82	649	

*The number of vacancies is indicative and may undergo change anytime before declaration of final result.

- Note:-**
- 10% vacancies are reserved for Ex-Servicemen (Ex-SM) as per Govt. of India's instructions. The personnel of Central Para Military Forces are not eligible to apply under Ex-Servicemen category.
 - Abbreviations used are UR-Un-Reserved, EWS-Economically Weaker Section, OBC-Other Backward Class, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe.

2. Pay of the post:-

Pay Matrix Level-4 (₹ 25500-81100) of pay matrix of 7th Central Pay Commission.

3. HOW TO APPLY:

Applications must be submitted in online mode only at the official website of Delhi Police i.e. <https://delhipolice.nic.in>. The Delhi Police has devised a simplified format for the online application procedure and candidate must read instructions "HOW TO APPLY" available on the website. The facility of on-line application (including payment of fees through Net Banking, any Credit/Debit Card & UPI) will be available from 28.12.2019 to 27.01.2020 (5:00 PM). However, candidates who wish to make the payment through challan of SBI, may make the payment to designated branches of SBI within the working hours of bank upto 28.01.2020 provided that the challan has been generated by them before 5:00 PM of 27.01.2020.

Note:-

- The candidate will upload clear scanned copies of all the documents in support of his/her claim for the recruitment.
- Candidates are not required to send hard copies of their online application form or any other documents. However, they can retain the hard copy of their online application form for their record.

4. APPLICATION FEE AND MODE OF PAYMENT:

(i) Fee payable: Rupees One Hundred Only (₹100/-) payable through SBI Challan, Net Banking, any Credit / Debit cards and UPI will be accepted. (ii) All women candidates and candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Ex-Servicemen eligible for reservation are exempted from payment of fee after uploading the caste certificate/discharge book or NOC (iii) Applications received without the prescribed fee shall not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection will be entertained.

Note:

- Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor will it be adjusted against any other examination or selection.
- Candidates who are not exempted from fee payment must ensure that their fee has been deposited with Delhi Police. The applications which remain incomplete due to non-receipt of fee till the closure of the window for depositing fee will be summarily rejected and no request for consideration of such applications and fee payment after the period specified in the Notice of Examination shall be entertained.

5. All the tests/examinations will be held at Delhi for which candidates from all parts of the country fulfilling the following conditions can apply:-

(i) Age Limit:

Age limit for the post is 18-27 years (UR/EWS) as on 01.07.2019 (i.e. candidates born not before 02.07.1992 and not later than 01.07.2001). Permissible relaxation in Upper age limit for different categories as under:-

Category	Age-relaxation permissible
SC/ ST	5 years
OBC	3 years
Sportsmen/Sportswomen (UR/EWS/OBC)	Upto the age of 32 years
Sportsmen/Sportswomen (SC/ST)	Upto the age of 37 years
Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried (UR/EWS)	Upto the age of 35 Years
Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried (OBC)	Upto the age of 38 Years
Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried (SC/ST)	Upto the age of 40 Years
Departmental candidates (UR/EWS) who have rendered three years regular and continuous service	Upto the age of 40 Years

in Delhi Police as on closing date of receipt of online application	
Departmental candidates (OBC) who have rendered three years regular and continuous service in Delhi Police as on closing date of receipt of online application	Upto the age of 43 Years
Departmental candidates (SC/ST) who have rendered three years regular and continuous service in Delhi Police as on closing date of receipt of online application	Upto the age of 45 years
Ex-Servicemen (Ex-SM) (UR/EWS)	03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application
Ex-Servicemen (Ex-SM) (OBC)	06 years (03 years + 03 years) after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application
Ex-Servicemen (Ex-SM) (SC/ST)	08 years (03 years + 05 years) after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application

(ii) Educational Qualification:-

10+2 (Senior Secondary) pass from a recognized Board with Science & Mathematics as subjects at the time of filling up of application form.

OR

National Trade Certificate (NTC) in the trade of Mechanic-Cum-Operator Electronic Communication System.

Note:-Candidates who have not acquired the educational qualification at the time of filling up of application form will not be eligible and need not apply.

(iii) Professional Requirement:-

- English word processing speed-1000 key depressions in 15 minutes.
- Basic knowledge of Computer Functions:- Opening/Closing of PC, printing, MS office usage, saving & modification in typed text, paragraph setting & numbering etc.

(iv) Physical Endurance Test (Qualifying):

(A) Male Candidates:

For candidates including ex-servicemen and departmental candidates (age-wise) will be as under:-

Age	Race 1600 Meters	Long Jump	High Jump
Upto 30 years	07 minutes	12½ feet (12'6")	3½ feet (3'6")
Above 30 to 40 years	08 minutes	11½ feet (11'6")	3¼ feet (3'3")
Above 40 years	09 minutes	10½ feet (10'6")	3 feet

(B) Female candidates:

For candidates including departmental candidates and widow/ divorced/ judicially separated women candidates (age-wise) will be as under:-

Age	Race 800 Meters	Long Jump	High Jump
Upto 30 years	05 minutes	9 feet	3 feet
Above 30 to 40 years	06 minutes	8 feet	2½ feet (2'6")
Above 40 years	07 minutes	7 feet	2¼ feet (2'3")

(v) Physical Standards:-

(A) Male Candidates:

(a) Height	170 cms. Relaxable by 5 cms for:- (i) residents of hill areas i.e. Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to States/UTs of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir region of J&K and Ladakh (Candidates claiming this relaxation are required to produce a certificate to this effect (Hill area certificate) from the competent authority i.e. DC/DM/SDM or Tehsildar of their place of residence at the time of Physical Measurement Test). (ii) sons of either serving, retired or deceased Delhi Police personnel/ Multi-Tasking Staff of Delhi Police.
(b) Chest	81 cms - 85 cms (with minimum of 4 cms expansion). Relaxable by 5 cms for:- (i) residents of hill areas, for which certificate as above (Hill area certificate) is required to be produced. (ii) sons of either serving, retired or deceased Delhi Police personnel/ Multi-Tasking Staff of Delhi Police.

Note:- For all candidates minimum expansion of chest has to be 4 cms, failing which he will be disqualified.

(B) Female Candidates:

Height	157 cms, relaxable by 5 cms for:- (i) residents of hill areas i.e. Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to States/UTs of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir region of J&K and Ladakh (Candidates claiming this relaxation are required to produce a certificate to this effect (Hill area certificate) from the competent authority i.e. DC/DM/SDM or Tehsildar of their place of residence at the time of Physical Measurement Test). (ii) daughters of either serving, retired or deceased Delhi Police personnel/ Multi-Tasking Staff of Delhi Police
---------------	--

Note:-

I Those who qualify in the race will be eligible to appear in Long Jump and then High Jump. Long Jump and High Jump are to be cleared in any one of the three chances that shall be given for each event. There will be no appeal against disqualification in race, long jump and high jump.

II The female candidates, who are pregnant, at the time of PE&MT will not be allowed to participate in Physical Endurance Test. Her Physical Endurance Test will be conducted after "the period of confinement" and till then result of such cases will be kept in a sealed cover.

III The relaxation in height/chest (male) and height (female) will be extended to the sons/daughters of only those Delhi Police personnel/Multi-Tasking Staff, who have not been awarded punishments of dismissal/removal/termination or compulsory retirement by way of penalty. The Wards of police personnel and Multi-Tasking Staff of Delhi Police belonging to Hill area category will not be entitled to get double relaxation. They can either avail relaxation in their own category or as a ward of police personnel & Multi-Tasking Staff of Delhi Police.

(vi) Medical Standard:-

- a) The candidates should be of sound health, free from disease, defect or deformity.
- b) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). The candidate should be free from colour blindness.

6. CAUTION:-

- (i) Furnishing of false information or suppression of any factual information in the application form would be a disqualification for the post.
- (ii) In the event of any forgery/falsification of any document(s) i.e. educational certificate, caste certificate, sports certificate etc., being detected at any stage, besides cancellation of candidature, a criminal case will also be got registered against the candidate as per law.

7. GENERAL INSTRUCTIONS:-

- (i) The entire process of recruitment including Computer Based Examination, Physical Endurance & Measurement Tests (PE&MT), Trade Test, Test of Proficiency in Computer Operation and Medical Examination etc. as prescribed for the post will be held at Delhi only.
- (ii) **Application Fee:-** Male candidates belonging to General (UR)/OBC/EWS category applying for recruitment to the post should pay ₹100/- (Rupees One Hundred only) as application fee through online payment gateway system on www.delhipolice.nic.in. Women candidates and candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribe and Ex-Servicemen category are exempted from paying application fee after uploading the certificate/discharge book or NOC. Fee once paid will not be refunded under any circumstances and the fee paid by modes other than above will not be accepted and applications of such candidates will be rejected forthright and the payment made shall stand forfeited.
- (iii) **Date of Birth:-** Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation certificate will be accepted for determining the age and no subsequent request for its change will be considered.
- (iv) **OBC Category:-** Candidates claiming benefits under OBC category shall be in accordance with castes notified in the Central List. OBC Certificates issued by Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD), but not included in the Central List of OBCs, will also be accepted for reservation and age relaxation purposes. The Certificate should be in the prescribed form issued by the competent authority empowered for the purpose. No other certificate will be accepted as sufficient proof. **A person seeking appointment on the basis of reservation to OBCs must ensure that he/she possesses the caste/community certificate and does not fall in creamy layer.**
- (v) Candidates who wish to be considered against vacancies reserved/or seek age-relaxation must submit **requisite certificate** from the competent authority, in the **prescribed format at the time of PE&MT/document verification**. Otherwise, their claim for SC/ST/OBC/EWS/Ex-SM, Sportsperson, widow/divorced woman/judicially separated woman status will not be entertained and their candidature will be cancelled. **The format of the certificates are annexed with the Notice.** Certificates in any other format will not be accepted.
- (vi) Candidates are warned that they will be permanently debarred from the examination conducted by the Delhi Police in case they fraudulently claim SC/ST/OBC/ Economically Weaker Section, Ex-Serviceman, Sportsperson or widow/divorced women/judicially separated woman candidates status.
- (vii) Candidates already working with Govt./Semi Govt. can apply after intimating to their Head of Office/Department. They will have to provide No Objection Certificate (NOC) from their department at the time of checking of documents.
- (viii) **Biometric:** The candidates will have to go through Biometric mapping and their identities will be verified at all stages of recruitment and joining.
- (ix) **Age relaxation for sportsmen/sportswomen:-** Age relaxation as mentioned at point No. 5(i) will be given to sportsmen/sportswomen of distinction who have represented a State at the National level or the Country at the International level in sports during preceding three years from the date of advertisement of vacancies. The discipline of sports for which relaxation is available is mentioned below. The formats of the sports certificates are annexed with the Notice. The sports certificates having photograph of the candidate duly attested by the Secretary of the State/National Sports Federation only shall be accepted.

LIST OF SPORTS/GAMES FOR WHICH AGE RELAXATION IS AVAILABLE:

Archery	Football	Shooting
Athletics	Gymnastics	Table Tennis
Badminton	Hockey	Tennis
Basketball	Judo	Triathlon
Boxing	Kabaddi (Circle/beach)	Volleyball
Cricket	Karate	Wrestling
Cycling	Kho-Kho	Weightlifting
Equestrian	Swimming	

(x) DEFINITION OF EX-SERVICEMAN (Ex-SM):

The definition of Ex-Servicemen (Ex-SM) as defined in Govt. of India. Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, New Delhi's O.M. No. 36034/5/85-Estt. (SCT) dated 14.4.1987 is given as under :-

*An Ex-Serviceman means a person, who has served in any rank whether as a Combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and

- i) who retired from such service after earning his pension; or
- ii) whose discharge book has the endorsement of Ex-Servicemen; or
- iii) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or
- iv) who has been released, otherwise than on his own request, from such service as a result of reduction in establishment; or
- v) who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely:-
 - a) Pension holders for continuous embodied service,
 - b) Persons with disability attributable to military service; and
 - c) Gallantry award winners".

The Territorial Army personnel will however be treated as Ex-Servicemen w.e.f. 15.11.1986.

Ex-Servicemen who are paid from the Central revenues are eligible to be re-enlisted as Head Constable (Assistant Wireless Operator/Tele-Printer Operator) at the discretion of the appointing authority if their discharge certificate shows previous service as Good or of higher classification/ grading, provided that they conform to the educational standards laid down for Head Constable (Assistant Wireless Operator/Tele-Printer Operator) from open competition and qualify such endurance/efficiency tests as prescribed by the Commissioner of Police, from time to time by issuing necessary Standing Orders and they are medically fit for police service according to standards prescribed for recruits.

Note:

- I Ex-Servicemen who have already secured employment under Central Government (including State Govt./Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies/Statutory Bodies/Nationalized Banks etc.) in Group 'C' & 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to Ex-Servicemen for their re-employment are NOT eligible for fee concession or for claiming benefits of reservation under Ex-Servicemen category. However, they are eligible for the age relaxation only.
- II The period of "Call up Service" of an Ex-Servicemen in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation.
- III For any Serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Servicemen for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the Post/Service, the status of Ex-Servicemen and /or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the closing date of the application form.

Explanation

The persons serving in the Armed Forces of the Union, who on retirement from service, would come under the category of "Ex-Serviceman" may be permitted to apply for re-employment, one year before the completion of the specified terms of engagement and avail themselves of all concessions available to Ex-Servicemen but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specified term of engagement in the Armed Forces of Union.

All such candidates who are serving in the Armed Forces and intend to apply under Ex-Servicemen category will be required to submit NOC from the department which shall clearly mention their date of discharge from the Armed Forces. The date of discharge/ date of completion of specified term of engagement with the Armed Forces must be within one year from the closing date of application form. NOC having no mention of the date of discharge from the Armed forces will not be entertained and their Application forms will be rejected without assigning any further reasons.

8. METHOD OF RECRUITMENT

The selection process shall consist of the following compulsory tests in the given order:-

Tests/Exams	Maximum Marks/Qualifying
(i) Computer Based Examination	100 Marks
(ii) Physical Endurance & Measurement Tests (PE&MT)	Qualifying
(iii) Trade Test (Reading & Dictation)	Qualifying
(iv) Test of Proficiency in Computer Operation:- ● Test of English Word Processing Speed-1000 key depression in 15 minutes. ● Test of Basic Computer Functions:- Opening/Closing of PC, printing, MS office usage, saving & modification in typed text, paragraph setting & numbering etc.	Qualifying
FINAL RESULT	100 MARKS

9. COMPUTER BASED EXAMINATION--OBJECTIVE TYPE:-

All the candidates shall be put through a Computer Based Examination on the subjects as mentioned below. There will be 'No' negative marks for wrong answer. The question paper for Computer Based Examination will be in HINDI and ENGLISH only.

Subject	No. of Questions	Max. Marks	Time Duration (For all five Parts)
Part-A	General Awareness	20	20
Part-B	General Science	25	25
Part-C	Mathematics	25	25
Part-D	Reasoning	20	20
Part-E	Computer Fundamentals, MS Excel, MS Word, Communication, Internet, www and Web Browsers etc.	10	10
Total		100	100

Indicative Syllabus for Computer Based Examination

- (A) **General Awareness:** Questions are designed to test the candidate's general awareness of the environment around him/her and its application to society. Questions are also designed to test his/her knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries especially pertaining to History, Culture, Geography, Indian Economy, General Polity, Indian Constitution, Scientific Research. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline.
- (B) **General Science:**
- Physics:** Understanding of the basic concepts of topics like thermodynamics, mechanics, Newton's Law of Motion, Gravity, Motion, Pressure, Units of measurements, sound, Heat & Temperature, Electronics, Magnetism, Ohm's Law, Number systems, Fiber Optics, Mode of Communication etc.
- Chemistry:** Chemistry of everyday life, commonly used chemicals, important catalysts, reactions, Commercial applications of chemicals, chemical and physical change, definition based question, Acids (Sulphuric acid, Hydrochloride), Atomic Number, Elements and their symbols and Electro Chemistry etc.
- (C) **Mathematics:** Number systems, Ratio and Proportion, Percentages, Averages, Simple and Compound interest, Profit, Loss & Discount, Time, Distance & Work, Algebra (Equations, Surds, Indices, Graphs), Geometry, Mensuration, Trigonometry, Data Interpretation, Sequence & Series, Permutation & Combination and Simplification.
- (D) **Reasoning:** Non-Verbal Reasoning (figures), Analogy, Alphanumeric Series, Number Series, Critical Thinking, Coding and de-coding, Logical reasoning, Input-Output, Blood Relations, Syllogisms, Table, Directions/Ranking Test, Venn Diagrams, Seating Arrangement, Coded Inequalities and Data Sufficiency.
- (E) **Computer Fundamentals, MS Excel, MS Word, Communication, Internet, www and Web Browsers etc.**

This paper will include questions on the following:

1. Elements of Word Processing (Word Processing Basics, Opening and closing Documents, Text Creation, Formatting the Text and its presentation features).
2. MS Excel (Elements of Spread Sheet, Editing of Cells, Function and Formulas).
3. Communication (Basics of E-mail, Sending/receiving of Emails and its related functions).
4. Internet, www and Web Browsers (Internet, Services on Internet, URL, http, FTP, Web sites, Blogs, Web Browsing Software, Search Engines, Chat, Video conferencing, e-Banking) etc.

10. DISPLAYING/UPLOADING OF TENTATIVE ANSWER KEY OF COMPUTER BASED EXAMINATION

After conducting the Computer Based Examination, the answer key for the examination will be displayed/uploaded on the website of the Delhi Police i.e. www.delhipolice.nic.in. The candidates who are not satisfied with the captured response, may challenge by filing application/representation along with proof/ documents/ solution in support of their claim within 15 days of uploading of the answer key along with a fee of ₹100/- per question/answer challenged. Online link will be provided to accept the representations and fee. However, the decision of the Commissioner of Police, Delhi on the challenges shall be final and no further communication will be entertained. No representation after the stipulated period will be entertained under any circumstances.

11. DECLARATION OF THE RESULT OF COMPUTER BASED EXAMINATION FOR APPEARING IN PHYSICAL ENDURANCE AND MEASUREMENT TESTS (PE&MT)

The candidates who come within the range of merit of Computer Based Examination equal to **twenty (20) times** the number of vacancies advertised in each category i.e. General/SC/ST/OBC/EWS and Ex-servicemen (category-wise) shall be called for appearing in the PE&MT, subject to securing minimum 40% marks under General/EWS Category (minimum 35% in case of SC/ST/OBC and 30% under Ex-Servicemen category). In case there are a large number of candidates on cutoff marks, all candidates on that cutoff for the relevant category will be called for the PE&MT.

12. PHYSICAL ENDURANCE & MEASUREMENT TESTS (PE&MT)

The candidates qualified in the Physical Endurance Tests (Race, Long Jump and High Jump) as prescribed in para 5(iv)(A) and para 5(iv)(B) shall have to further appear in Physical Measurement Tests i.e. Height/Chest (male candidates) and Height (female candidates) as per the standards prescribed for the post. Candidates not satisfied with their physical measurement will have to file an appeal against disqualification on the day of PE&MT itself. No application/appeal will be entertained at later stage.

13. CHECKING OF ORIGINAL DOCUMENTS/CERTIFICATES FOR ELIGIBILITY CRITERIA

All the original documents/certificates pertaining to age, education, caste, hill areas, NOC/discharge certificate (in case of Ex-Serviceman), sports certificate, proof to avail age relaxation as a widow/divorced/judicially separated woman, serving certificate in case of departmental candidates serving in Delhi Police containing his date of enlistment, Wards of Delhi Police Personnel certificate and No Objection Certificate in case already employed in Government/Semi Government, would be checked at the time of Physical Endurance & Measurement Tests of the candidates who successfully qualify all the events of PE&MT. The final document checking will again be done at the time of issue of "Offer of Appointment". The candidates will be required to submit self attested photo copies of all the documents/certificates.

14. TRADE TEST(READING & DICTATION)-(QUALIFYING)

The candidates who qualified in Physical Endurance & Measurement Tests (PE&MT) will be called for **Trade Test. The Trade Test (Reading & Dictation)** is to assess candidate's capability to transmit and receive messages. This test will be taken in the form of reading and dictation. The dictation, both in Hindi and English languages, will be given to the candidates in groups comprising suitable number of candidates taking dictation in a group. **The candidates having more than 50% mistakes in Hindi or English dictation stand disqualified.** The reading test will require each candidate to read a passage from the given text both in Hindi and English.

15. TEST OF PROFICIENCY IN COMPUTER OPERATION (QUALIFYING):-

All candidates who qualify the Trade Test (Reading & Dictation) will be required to appear for a **Test of Proficiency in Computer Operation** which will be of qualifying in nature (i) Test of English word processing speed-1000 key depressions in 15 minutes (ii) Test of Basic Computer Functions (Opening/Closing of PC, Printing, MS office usage, saving & modification in typed text, paragraph setting & numbering etc).

(i) English Word Processing Speed Test

Test of English Word Processing Speed-1000 key depression in 15 minutes will be conducted on computer and adjudged on the basis of correct entry of words/key depressions as per given printed passage in English containing 200 words, would be given to each candidate, who would enter the same in the Computer in Word Format of MS Office.

Note:- Candidate who make 25 mistakes or more, shall be disqualified.

(ii) Test of Basic Computer Functions:-

(Opening/Closing of PC, Printing, MS office usage, saving & modification in typed text, paragraph setting & numbering etc).

The following formatting features should be tested:-

MS-Word		Time: 5 minutes	
(i)	Underline	(vi)	Page numbering
(ii)	Using different font type	(vii)	Draw/Insertion of table
(iii)	Inserting of paragraph numbers	(viii)	Bullets/ Numbering
(iv)	Select text in bold	(ix)	Change case
(v)	Using different font size	(x)	Setting of paragraph

MS-PowerPoint		Time: 5 minutes	
(i)	Use text box	(vi)	Insert clipart
(ii)	Insert Chart	(vii)	Slide Numbering
(iii)	Insert text with WordArt	(viii)	Insert Picture
(iv)	Background style of slide	(ix)	Bullet/numbering
(v)	Design of Slide	(x)	Alignment of text

MS-Excel		Time: 5 minutes	
(i)	Merge cell	(vi)	Font style
(ii)	Centre a Text	(vii)	Font colour
(iii)	Centre align as text	(viii)	Bold a text
(iv)	Insert shapes	(ix)	Underline a text
(v)	Font size	(x)	Italics

10 features of formatting, as listed above may be tested in each test with 1/2 mark each for every feature of formatting. **In case of formatting features if the candidates carry out the formatting as per the specimen, 1/2 mark each will be given. Otherwise, no marks will be given.** Out of the 05 marks for the formatting features for each test, a candidate should secure at least 3 marks in each test to qualify. There is no bar to candidates correcting the mistakes by use of editing tools.

16. FINAL RESULT

- (i) The list of selected candidates (as per the number of vacancies advertised) (category-wise) from the list of candidates, declared qualified in the test of Proficiency in Computer Operation will be prepared strictly on the basis of merit of Computer Based Examination (100 marks).
- (ii) SC, ST, OBC candidates, who are selected on their own merit without relaxed standards, along with candidates belonging to other communities, will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such SC, ST, OBC candidates will be accommodated against the general/unreserved vacancies as per their position in the overall Merit List. The reserved vacancies will be filled up separately from amongst the eligible SC, ST, OBC candidates which will thus comprise of SC, ST, OBC candidates who are lower in merit than the last general candidate on merit list of unreserved category but otherwise found suitable for appointment even by relaxed standard.
- (iii) A person belonging to EWS cannot be denied the right to compete for appointment against an unreserved vacancy. Persons belonging to EWS who will be selected on the basis of merit and not on account of reservation will not be counted towards the quota meant for reservation.
- (iv) The candidates will be selected provisionally subject to police verification of their character and antecedents and medical fitness as prescribed for the post.

Note:- Cases of all selected candidates against whom any criminal case is registered/pending investigation/pending trial in the court will be considered as per law in view of the provisions of Standing Order No. 398/2018. Cases of selected departmental candidates against whom there is any DE/PE/Criminal case/Vigilance enquiry etc., is pending will be kept pending till the finalization of their cases.

17. RESOLUTION OF TIE CASES

In case where more than one candidate secure the equal aggregate marks, tie will be resolved by applying the following methods one after another:-

- i) The older candidate shall be given preference.
- ii) If date of birth and marks in Computer Based Examination are also same, alphabetical order in which first names of the candidates appear will decide the case.

18. INSTRUCTIONS REGARDING TESTS

- (i) The date of Computer Based Examination, PE&MT, Trade Test and Test of Proficiency in Computer Operation will be notified through Delhi Police website i.e. www.delhipolice.nic.in.
- (ii) The Admit Card for the Computer Based Examination and other tests prescribed for the post will be uploaded on Delhi Police website: www.delhipolice.nic.in. Candidates can download the Call letter/Admit Card from the Delhi Police Website. No separate call letter/admit card will be sent to the candidates.
- (iii) The Delhi Police will not undertake detailed scrutiny of applications for the eligibility and other aspects at the time of Computer Based Examination and, therefore, candidature will be accepted only provisionally.
- (iv) No change of centre of examination for the Computer Based Examination will be allowed under any circumstances. Delhi Police reserves the right to cancel any centre and can ask the candidates of that centre to appear at another centre. Delhi Police also reserves the right to divert candidates of any centre to some other centre to take the examination.
- (v) Candidates are not permitted to use Mobile Phone, Calculators or any other electronic/electrical device. Candidates **Must Not** bring mobile phone, calculators or any other electronic/electrical device during examinations/tests. Possession of these items, whether in use or not, will be considered as "Use of unfair means" in the examination and appropriate action will be taken against such candidates.
- (vi) No representation for reevaluation of answer sheet of Computer Based Examination/ Trade Test/Test of Proficiency in Computer Operation or re-conduct of any other tests/ examinations as prescribed for the post will be entertained.
- (vii) The Delhi Police reserves the right to cancel/withdraw any question/questions from the Computer Based Examination.

(viii) The marks scored by the candidates in Computer Based Examination will be subjected to a Normalization Process called Equi-Percentile Equating. The percentile ranks so derived & equated will be used as input criteria to finalise the merit.

FORM 1

(For representing India in an International Competition in one of the recognized Games/Sports)

NATIONAL FEDERATION/NATIONAL ASSOCIATION OF _____

(AFFILIATED WITH INDIAN OLYMPIC ASSOCIATION)

Certificate to meritorious sportsman for employment to Group 'C' Services under the Central Government

Passport size photograph duly signed by issuing authority.

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth _____ resident of _____

(complete address) represented the Country in the game/championship of _____ in _____ Competition/Tournament

held at _____ from _____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said Competition/Tournament was _____.

The Certificate has been issued on the basis of record available in the Office of National Federation/National Association of _____.

Place _____

Date _____ Signature _____

Name _____

Designation _____

Name of the Federation/National Association _____

Address _____

NOTE: This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary, National Federation/National Association.

ANNEXURE-B

FORM 2

(For representing a State in India in a National Competition in one of the recognized Games/Sports)

STATE ASSOCIATION OF _____ IN THE GAME OF _____

(AFFILIATED WITH STATE OLYMPIC ASSOCIATION)

Certificate to meritorious sportsman for employment to Group 'C' Services under the Central Government

Passport size photograph duly signed by issuing authority.

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth _____ resident of _____

(complete address) represented the State of _____ in the game/ championship of _____ in _____

Competition/Tournament held at _____ from _____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said Competition/ Tournament was _____.

The Certificate has been issued on the basis of record available in the Office of State Association of _____.

Place _____

Date _____ Signature _____

Name _____

Designation _____

Name of the State Association/Federation _____

Address _____

Seal _____

NOTE: This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of the State Association.

ANNEXURE-C

FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education.

(The Form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____ son/daughter of _____ of village/town/* in District/Division

* _____ of the State/Union Territory* _____ belongs to the Caste/Tribes _____ which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950* The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950*

The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951* The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951*

(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) order, 1956, the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970 and the North-Eastern Area(Re-organisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order, (Amendment) Act, 1976)

19. BASIC TRAINING COURSE

The candidates selected for the post will have to undergo **Residential Basic Training** course at training centre in Delhi for **nine (09)** months training programme of Wireless, AWO Grade-III course having Radio Procedure, Radio Theory, Practical, Morse sending/receiving and Modern Technology Systems in Delhi Police including three months practical training as Assistant Wireless Operator at various Control Rooms of Delhi Police. The Medium of instruction in Police Training College/School will be Hindi.

20. IMPORTANT INSTRUCTIONS:-

1.	WARNING : Furnishing of false information or suppression of any factual information in the application form would be a disqualification for the post. In the event of any forgery/falsification of any document(s)/certificate(s), being detected at any stage, besides cancellation of candidature, a criminal case will also be got registered against the candidate as per law.
2.	Before applying, candidates are advised to go through the detailed instructions contained in this notice carefully. This notice is also available on the website www.delhipolice.nic.in .
3.	The mode of filling up of online application form is available on the website of Delhi Police i.e. www.delhipolice.nic.in .
4.	Candidates seeking reservation benefits as SC/ST/OBC/EWS/Ex-Servicemen must ensure that they fulfill requisite eligibility criteria as per eligibility prescribed in the Notice. They should also be in possession of the certificates in the prescribed format in support of their claim when the copies of the certificates will be sought at the time of PE&MT. OBC/EWS candidates should ensure that they are in possession of OBC/EWS certificate in the prescribed format issued by the competent authority prescribed in this Notice. The candidates reporting without required documents will not be allowed to undertake further test/ examination.
5.	The decision of the Delhi Police in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of examination/tests(s) allotment of examination centre and preparation of merit will be final and binding on the candidates and no enquiry/ correspondence will be entertained in this regard.
6.	COURT JURISDICTION: Any dispute and differences in regard to this recruitment will be subject to the jurisdiction of the courts/tribunals within the territorial limits of Delhi only.
7.	Mobiles & accessories and other electronic gadgets are banned within the premises of the examination/test venues. Candidature of candidates in possession of such gadgets will be cancelled forthwith. The Delhi Police considers such possession as adopting unfair means.
8.	Application will be accepted through online mode only . Candidature of candidates applying through any other mode is liable for rejection summarily.
9.	Submission of Multiple applications: Only one online application is to be submitted by the candidates. In case of multiple-applications only the last application will be considered. It is the onus of the candidate to ensure that he/she appears only once for this Examination-2019. At any stage, if it is found that he/she appeared more than once in the said Examination, his/her candidature will be cancelled.
10.	Incomplete applications will be summarily rejected and no correspondence on this will be entertained. No application received after the last date as mentioned above will be accepted and Delhi Police will not be responsible for any electronic, internet related problems, etc. faced by the candidates.
11.	The Delhi Police reserves the right to cancel entire process of examination or a part of it due to administrative reason(s) and in case of unfair means, cheating or other irregularities/malpractice noticed in the examinations/ tests.
12.	The Delhi Police will send acknowledgement through SMS/email to candidates applying on-line regarding successful completion of registration of on-line application.
13.	For any queries candidates may contact Delhi Police Recruitment Cell Helpdesk, at Recruitment Cell, New Police Lines, Kingsway Camp, Delhi-110009 at the following phone numbers between 09:30 am to 06:00 pm on all working days except Saturday, Sunday and National Holidays:- 011-27412715 011-27241205 011-27241206
14.	Candidates are advised to keep with themselves photocopies of application form and admit card (at the time of Computer Based Examination and other Tests as prescribed for the post) for ready reference. Candidates must carry at least two passport size recent colour photograph and one photo bearing identity proof such as Driving License, Voter Card, Aadhaar Card, Identity Card issued by University/College, Income Tax Pan Card, Employer ID Card in original to the examination center, failing which they shall not be allowed to appear for the examination.
15.	Application form with blurred photograph/Signature will be rejected summarily.
16.	If ineligibility of a candidate is detected at any stage, his/her candidature will be cancelled without any prior notice.
17.	Any change in the schedule already announced would be displayed on the notice board of the DCP/Recruitment, New Police Lines, Kingsway Camp, Delhi-110009 and on Delhi Police website www.delhipolice.nic.in .
18.	Recruitment in Delhi Police is totally transparent, fair and purely on the basis of performance of the aspirants. No candidate is required to pay any money in cash or otherwise for recruitment in Delhi Police. If someone approaches them or asks for money or any other favour, they may report the matter to DCP/ Recruitment, New Police Lines, Kingsway Camp, Delhi or the local police.
19.	No TA/DA will be paid to the candidates.
20.	If there is any variation in the interpretation of words/instructions in the notice, the English version will prevail.
21.	Disclaimer: Information given in this advertisement and on website are guidelines only. In case of any ambiguity, the existing rules and regulations of Delhi Police/Govt. of India will be final.

(M.I. HAIDER)

DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE,
ESTABLISHMENT, DELHI

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@
 The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959@ as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976@
 The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962@ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@
 The Constitution (Puducherry) Scheduled Castes Order 1964@
 The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @
 The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
 The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @
 The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @
 The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@
 The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@
 The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@27
 The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@
 The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance, 1991@
 The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@
 The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance, 1996.
 The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002
 The Constitution (Scheduled Caste) Orders (Amendment) Act, 2002
 The Constitution (Scheduled Caste and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
 The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act, 2007

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled tribes certificate issued to Shri/Shrimati _____ Father/mother _____ of Shri/Shrimati/Kumari* _____ of village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ who belong to the _____ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the _____ dated _____.

3. Shri/Shrimati/Kumari and /or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* _____ of the State/Union Territory* of _____.

Signature _____
 ** Designation _____
 (with seal of office)
 Place _____
 Date _____

* Please delete the words which are not applicable @ Please quote specific Presidential Order % Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE : The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Dy.Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

ANNEXURE-D

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari _____ Son / Daughter of Shri/Smt. _____ of Village/Town _____ in the _____ District/Division _____ in the _____ State belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class under:

- (i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
- (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
- (iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
- (iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9/03/96.
- (v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
- (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
- (vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
- (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
- (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
- (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
- (xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
- (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
 - (i) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
 - (ii) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
 - (iii) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.

Shri/ Smt. / Kumari _____ and / or his family ordinarily reside(s) in the _____ District / Division of

_____ State. This is to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004.

Dated: _____
 District Magistrate/Deputy Commissioner /Competent Authority
 Seal

- NOTE:**
- (a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
 - (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
 - (i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / Ist Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
 - (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
 - (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
 - (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.

UNDERTAKING TO BE SUBMITTED BY OBC CANDIDATES

DECLARATION

I, _____ son/daughter of Shri _____ resident of village/town/city _____ District _____ State _____ hereby declare that I belong to the _____ (Indicate your sub caste) community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt.(SCT), dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/section(s) (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred OM dated 08.09.1993 and subsequent through O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.), dated 09.03.2004,

Place: _____ Signature of the candidate
 Date: _____ Name of the candidate

ANNEXURE-E

Government of.....
(Name & Address of the authority issuing the certificate)
INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS
 Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____, Village/Street _____ Post. Office _____ District _____ in the State/Union Territory _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Recent Passport size photograph of applicant. _____
 Signature with seal of Office _____
 Name _____
 Designation _____

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2:The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

ANNEXURE - F

CERTIFICATE SHOWING THE CANDIDATE AS WARD OF SERVING/RETIRED/DECEASED DELHI POLICE PERSONNEL

It is certified that Shri _____ (name of the Delhi Police Personnel) Rank _____ Range/Belt No./PIS No. _____ is serving/retired/deceased since/on _____ in/from _____ Distts./Units. His son/ daughter _____ (name) want to appear in the test for recruitment of Head Constable (Assistant Wireless Operator/Tele-printer Operator) in Delhi Police provisionally.

Signature of DCP/ADDL.DCP/ACP/HQ _____ of concerned District/Units.
 (Name & Designation of the Officer with seal)

Dated _____

ANNEXURE- G

Form of Certificate for serving Defence Personnel

I hereby certify that, according to the information available with me (No.) _____ (Rank) _____ (Name) _____ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date) _____.

Place: _____ (Signature of Commanding Officer)
 Date: _____ Office Seal



दिल्ली पुलिस

सूचना

दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर) के पद के लिए सीधी मर्ती परीक्षा, 2019

ऑनलाइन पंजीकरण खुलने की तिथि: 28.12.2019

ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि: 27.01.2020

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा: बाद में अधिसूचित की जाएगी।

आधिकारिक वेबसाइट: www.delhipolice.nic.in

दिल्ली पुलिस में वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 में (₹ 25500-81100) तथा समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय और लागू भत्तों के साथ अस्थाई प्रधान सिपाही (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर) (समूह 'ग') पद के लिए निम्नलिखित रिक्तियां भरने हेतु पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वे दिल्ली पुलिस अधिनियम और बल के अन्य सदस्यों के लिये लागू केंद्रीय सिविल सेवाएं नियम तथा समय-समय पर लागू अन्य अधिनियमों एवं नियमों द्वारा शासित होंगे। नियुक्ति होने पर वे 01.01.2004 से केंद्रीय सरकार की सेवाओं में आने वाले नए व्यक्तियों के लिए लागू 'नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे:-

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या*	वेतन मैट्रिक्स लेवल						
		सामा./अना.	ईडब्ल्यूएस	अ.पि.व.	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	कुल	
प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ)	पुरुष	ओपन	134	40	93	76	49	392
		विभागीय	15	04	10	08	06	43
	महिला	ओपन	67	19	45	38	24	193
		विभागीय	07	02	05	04	03	21
कुल			223	65	153	126	82	649

*रिक्तियों की संख्या निर्देशात्मक है जिसमें अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पणी:
I. भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
II. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर हैं: अना.-अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अ.पि.व.-अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.ज.जा.-अनुसूचित जाति और अ.ज.जा.-अनुसूचित जनजाति।

2. पद का वेतन:
7वें केंद्रीय वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स के वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (₹25500-81100)।

3. आवेदन कैसे करें: आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन पद्धति में दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट <https://delhipolice.nic.in> पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन आवेदन के लिए एक सरलीकृत प्रारूप तैयार किया है। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध 'आवेदन कैसे करें' अनुदेशों को अवश्य पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा (नेटबैंकिंग और क्रेडिट/डेबिट कार्ड एवं यूपीआई के जरिये शुल्क के भुगतान सहित) 28.12.2019 से 27.01.2020 (सायं 5:00 बजे) तक उपलब्ध होगी। हालांकि, जो उम्मीदवार एसबीआई के चालान के जरिए भुगतान करने के इच्छुक हैं, वे 28.01.2020 तक बैंक के कार्य घण्टों के दौरान एसबीआई की नामित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं बशर्ते कि उनके द्वारा चालान 27.01.2020 को सायं 5:00 बजे से पूर्व सृजित कर लिया गया होना चाहिए।

टिप्पणी:
I. उम्मीदवार भर्ती हेतु अपने दावे के समर्थन में सभी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करेंगे।
II. उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन फार्म या कोई अन्य दस्तावेज की मुद्रित/छाया प्रतियां भेजना अपेक्षित नहीं है। हालांकि वे अपने रिकार्ड के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन फार्म की छाया प्रति रख सकते हैं।

4. आवेदन शुल्क और भुगतान की पद्धति: (I) देय शुल्क: केवल एक सौ रुपये (₹100) एसबीआई चालान, नेटबैंकिंग के जरिये भुगतान योग्य और कोई भी क्रेडिट/डेबिट कार्ड और यूपीआई से स्वीकार किये जायेंगे। (ii) सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को जाति प्रमाणपत्र/डिस्चार्ज बुक अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र की अपलोडिंग के पश्चात् शुल्क के भुगतान से छूट है। (iii) निर्धारित शुल्क के बगैर प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और सीधे नामंजूर कर दिया जायेगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी:
I. शुल्क का एक बार भुगतान कर दिए जाने पर किसी भी स्थिति में इसे लौटाया नहीं जायेगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जायेगा।
II. जिन उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है, उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनका शुल्क दिल्ली पुलिस के पास जमा हो गया है। शुल्क जमा करने के लिए अंतिम तिथि तक शुल्क की अप्राप्ति के कारण अपूर्ण रह गए आवेदन सीधे नामंजूर कर दिये जाएंगे और ऐसे आवेदनों पर विचार करने और परीक्षा की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद शुल्क का भुगतान करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. सभी परीक्षण/परीक्षाएं दिल्ली में आयोजित की जाएंगी जिसके लिए देश के सभी भागों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं:-

(I) आयु सीमा:
पद के लिए आयु सीमा 01.07.2019 को 18-27 वर्ष (अना./ईडब्ल्यूएस) है (अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02.07.1992 से पहले और 01.07.2001 के बाद का नहीं होना चाहिए)। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकृत/अनुमतेय छूट निम्नानुसार है:-

श्रेणी/वर्ग	आयु सीमा में अनुमतेय छूट
अ.जा./अ.ज.जा.	5 वर्ष
अ.पि.व.	3 वर्ष
खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी (अना./ईडब्ल्यूएस/अ.पि.व.)	32 वर्ष की आयु तक
खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी (अ.जा./अ.ज.जा.)	37 वर्ष की आयु तक
विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अना./ईडब्ल्यूएस)	35 वर्ष की आयु तक
विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अ.पि.व.)	38 वर्ष की आयु तक
विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अ.जा./अ.ज.जा.)	40 वर्ष की आयु तक

विभागीय उम्मीदवार (अ.पि.व.), जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को दिल्ली पुलिस में कम से कम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
विभागीय उम्मीदवार (अ.पि.व.), जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को दिल्ली पुलिस में कम से कम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो	43 वर्ष की आयु तक
विभागीय उम्मीदवार (अ.जा./अ.ज.जा.), जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को दिल्ली पुलिस में कम से कम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) (अना./ईडब्ल्यूएस)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से सैन्य सेवा घटाए जाने के बाद 03 वर्ष
भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) (अ.पि.व.)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से सैन्य सेवा घटाए जाने के बाद 06 वर्ष (03 वर्ष+03 वर्ष)
भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) (अ.जा./अ.ज.जा.)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से सैन्य सेवा घटाए जाने के बाद 08 वर्ष (03 वर्ष+05 वर्ष)

(ii) शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक) विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण।

अथवा
मैकेनिक-कम-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूनिवेशन सिस्टम के ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र (एनटीसी)

टिप्पणी:- उम्मीदवार, जिन्होंने आवेदन फार्म भरने के समय शैक्षणिक योग्यता अर्जित नहीं की है, पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) व्यावसायिक अपेक्षा:
• अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग गति-15 मिनटों में 1000 की-डिप्रेशन्स।
• कम्प्यूटर कार्यों का बुनियादी ज्ञान:-पीसी की ओपनिंग/क्लोजिंग, प्रिंटिंग एमएस ऑफिस का प्रयोग, टंकित पाठ में सेविंग और सुधार करना, पैराग्राफ सेटिंग एवं नंबरिंग आदि

(iv) शारीरिक क्षमता परीक्षा (अर्हक):
(क) पुरुष उम्मीदवार:

आयु	1600 मीटर दौड़	लंबी कूद	ऊंची कूद
30 वर्ष तक	07 मिनट	12½ फुट (12'6")	3½ फुट (3'6")
30 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष तक	08 मिनट	11½ फुट (11'6")	3¼ फुट (3'3")
40 वर्ष से ऊपर	09 मिनट	10½ फुट (10'6")	3 फुट

(ख) महिला उम्मीदवार:
विभागीय उम्मीदवारों और विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक तौर पर अलग हुई महिला उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों के लिए (आयु-वार) निम्नानुसार होगी:-

आयु	800 मीटर दौड़	लंबी कूद	ऊंची कूद
30 वर्ष तक	05 मिनट	9 फुट	3 फुट
30 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष तक	06 मिनट	8 फुट	2½ फुट (2'6")
40 वर्ष से ऊपर	07 मिनट	7 फुट	2¼ फुट (2'3")

(v) शारीरिक मापदंड:
(क) पुरुष उम्मीदवार:

(I) ऊंचाई	170 सें.मी., निम्नलिखित के लिये 5 सें.मी. की छूट:- (i) पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊंकी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के निवासी (इस छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मापतौल परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी/डीएम/एसडीएम या तहसीलदार से इस संबंध में प्रमाणपत्र (पर्वतीय क्षेत्र प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करना होगा। (ii) सेवारत, सेवानिवृत्त या दिल्ली पुलिस के मृत कार्मिकों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टार्किंग स्टाफ के पुत्र।
(II) सीना	81 सें.मी. - 85 सें.मी. (साथ में न्यूनतम 4 सें.मी. विस्तार), निम्नलिखित के लिए 5 सें.मी. की छूट:- (i) पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी, जिनके लिए उपरोक्त अनुसार प्रमाणपत्र (पर्वतीय क्षेत्र प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करना होगा। (ii) सेवारत, सेवानिवृत्त या दिल्ली पुलिस के मृत कार्मिकों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टार्किंग स्टाफ के पुत्र।

टिप्पणी: सभी उम्मीदवारों के लिए सीने का न्यूनतम विस्तार 4 सें.मी. होगा, अन्यथा वे अयोग्य हो जायेंगे।

(ख) महिला उम्मीदवार:

ऊंचाई	157 सें.मी., निम्नलिखित के लिए 5 सें.मी. की छूट:- (i) पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊंकी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के निवासी (इस छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मापतौल परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी/डीएम/एसडीएम या तहसीलदार से इस संबंध में प्रमाणपत्र (पर्वतीय क्षेत्र प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करना होगा। (ii) सेवारत, सेवानिवृत्त या दिल्ली पुलिस के मृत कार्मिकों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टार्किंग स्टाफ की पुत्रियां।
--------------	--

टिप्पणी:
I. दौड़ में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार लंबी कूद और ऊंची कूद में उपस्थित होने के लिये पात्र होंगे। लंबी कूद और ऊंची कूद को तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण करना होगा, जो कि प्रत्येक स्पष्टा के लिए दिए जायेंगे। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्यता के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
II. महिला उम्मीदवार, जो गर्भवती हैं, उन्हें शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी शारीरिक क्षमता परीक्षा 'प्रसव की अवधि' के बाद आयोजित की जाएगी और तब तक ऐसे मामलों के परिणाम मुहुरबंद लिफाफे में रखे जाएंगे।

III. ऊंचाई/सीना (पुरुष) और ऊंचाई (महिला) में छूट केवल उन दिल्ली पुलिस कार्मिकों/ मल्टी टारकिंग स्टाफ के पुत्रों/पुत्रियों को प्रदान की जायेगी, जिन्हें दंडाल्मक कार्रवाई के जरिए बर्खास्तगी/सेवा से हटाए जाने/सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जरिए दंडित नहीं किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र श्रेणी से संबंधित दिल्ली पुलिस के कार्मिकों/ मल्टी टारकिंग स्टाफ के बच्चे दोहरी छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। वे या तो अपनी स्वयं की श्रेणी में अथवा दिल्ली पुलिस कार्मिक/दिल्ली पुलिस के मल्टी टारकिंग स्टाफ के बच्चों के तौर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

(vi) चिकित्सा मापदंड:

(क) उम्मीदवारों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और वे किसी दोष, विकृति या बीमारी से मुक्त होने चाहिये।

(ख) बेहतर आंख 6/6 बगैर चश्में। खराब आंख 6/36 चश्मे से सुधार के साथ 6/9 या 6/12 बगैर चश्मे (दोनों आंखें)। उम्मीदवार सांघता से मुक्त होने चाहिए।

6. चेतावनी:

(i) आवेदन पत्र में झूठी सूचना देना अथवा तथ्यात्मक जानकारी छिपाना पद के लिए अयोग्यता मानी जायेगी।

(ii) किसी भी दस्तावेज अर्थात् शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, खेल प्रमाणपत्र आदि की जालसाजी/धोखाधड़ी के मामले का किसी भी चरण में पता चलने पर उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के अलावा कानून के अनुसार उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा।

7. सामान्य अनुदेश:

(i) पद के लिए यथा निर्धारित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाएं (पीईएंडएमटी), ट्रेड परीक्षा, कम्प्यूटर संचालन में दक्षता की परीक्षा और चिकित्सा जांच आदि सहित सम्पू्ठी भर्ती प्रक्रिया केवल दिल्ली में आयोजित की जायेगी।

(ii) **आवेदन शुल्क:** सामान्य (अना)/अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित पुरुष उम्मीदवार जो इस पद की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें **www.delhipolice.nic.in** पर ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्रणाली के जरिए आवेदन शुल्क के तौर पर ₹100/- (केवल एक सौ रुपये) का भुगतान करना होगा। महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र/डिस्चार्ज बुक या अनापत्ति प्रमाणपत्र की अपलोडिंग के उपरांत आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है। शुल्क का एक बार भुगतान कर दिये जाने पर किसी भी स्थिति में इसे लौटाया नहीं जायेगा और उपरोक्त के अलावा किसी अन्य पद्धति से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र सीधे नामजूर कर दिए जायेंगे तथा किए गए भुगतान को जब्त कर लिया जाएगा।

(iii) **जन्म तिथि:** उम्मीदवारों को ज्ञात हो कि केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि आयु के निर्धारण के लिए स्वीकार की जायेगी तथा बाद में किसी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) **अ.पि.व. श्रेणी:** अ.पि.व. श्रेणी के अधीन लाभों का दावा कर रहे उम्मीदवार केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुरूप होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्ष.दि.स.) द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाणपत्र, जो अ.पि.व. की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, को भी आरक्षण और आयु में छूट के उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया जायेगा। प्रमाणपत्र इस उद्देश्य के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया होना चाहिए। पर्याप्त सबूत के तौर पर कोई अन्य प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। **अ.पि.व. में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह जाति/समुदाय प्रमाणपत्र रखता है और संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है।**

(v) उम्मीदवार जो कि आरक्षित रिक्तियों के तहत विचार किये जाने/या आयु में छूट लेने के इच्छुक हैं उन्हें **शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाएं (पीईएंडएमटी)/दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना** चाहिये। अन्यथा, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/मूपू.से./विधवा/तलाकशुदा महिला/न्यायिक रूप से अलग हुई महिला/खिलाड़ी के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। **प्रमाणपत्रों के प्रपत्र इस सूचना के साथ दिये गये हैं।** किसी अन्य प्रारूप में प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(vi) उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि उन्होंने धोखाधड़ी से अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी अथवा विधवा/ तलाकशुदा महिला/न्यायिक रूप से अलग हुई महिला उम्मीदवार होने का दावा किया हो तो उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित परीक्षा से स्थाई तौर पर प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(vii) सरकारी/अर्द्ध-सरकारी विभाग में कार्यरत उम्मीदवार अपने कार्यालय/विभाग के विभागाध्यक्ष को सूचना देने के उपरांत आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों की जांच के समय उन्हें अपने विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देना होगा।

(viii) **बायोमीट्रिक:** उम्मीदवारों के बायोमीट्रिक सूचना लिए जाने सहित उन्हें भर्ती तथा नियुक्ति के सभी चरणों में पहचान की सत्यापन प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा।

(ix) **पुरुष खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों के लिए आयु में छूट:** बिंदु सं. 5(i) पर यथा वर्णित आयु में छूट उन पुरुष खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों को प्रदान की जायेगी, जिन्होंने रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। खेलों के क्षेत्र जिनमें छूट उपलब्ध है, नीचे उल्लेख किया गया है। खेल प्रमाणपत्रों के प्रारूप सूचना के साथ संलग्न हैं। केवल वही खेल प्रमाणपत्र स्वीकार किए जायेंगे जिन पर राज्य/ राष्ट्रीय खेल परिषद के सद्विव द्वारा विधिवत सत्यापित उम्मीदवार का फोटोग्राफ लगा होगा।

खेल/स्पर्द्धाओं की सूची, जिनके लिए आयु सीमा में छूट है:

तीरंदाजी	साइकलिंग	कबड्डी (सर्कल/बीच)	टेनिस
एथलैटिक्स	इक्विस्ट्रियन	कराटे	ट्रायथलॉन
बैडमिंटन	फुटबाल	खो-खो	वॉलीबाल
बार्सकेटबाल	जिम्नार्स्टिक्स	तैराकी	कुश्ती
मुक्केबाजी	हॉकी	शूटिंग	भारतोलन
क्रिकेट	जुडो	टेबल टेनिस	

(x) भूतपूर्व सैनिक (मूपू.से.) की परिभाषा:

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशान मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के का.ज्ञा. सं. 36034/5/85-स्था.(एससीटी) दिनांक 14.04.1987 में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक (मूपू.से.) की परिभाषा निम्नानुसार है-

“एक भूतपूर्व सैनिक से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में युद्धक अथवा गैर युद्धक के तौर पर किसी भी रैंक में सेवा की है और

i) जो ऐसी सेवा से अपनी पेंशन अर्जित करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुआ है, अथवा जिसकी सेवा विमुक्त पुस्तिका (डिस्चार्ज बुक) में भूतपूर्व सैनिक पृष्ठांकित किया गया है, अथवा

iii) जिसे सैन्य सेवा में बाधक अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की स्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है और चिकित्सा या अन्य निःशकता पेशान प्रदान की गई है, अथवा

iv) जिसे उसके अपने अनुरोध के अलावा स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया है, अथवा

v) जिसे ऐसी सेवा से नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद उसके अपने अनुरोध पर अथवा कदाचार या अदक्षता के कारण बर्खास्त या डिस्चार्ज/कार्यमुक्त न किया गया हो, और जिसे सेवा उपदान (ग्रेज्युटी) दिया गया हो, तथा इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः :-

क) निरंतर मूर्त सेवा वाले पेंशन धारी

ख) सैन्य सेवा के कारण अशक्त व्यक्ति, और

ग) वीरता पुरस्कार विजेता”

तथापि 15.11.86 से प्रादेशिक सेना कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिक के तौर पर माना जायेगा।

भूतपूर्व सैनिक जिन्हें केंद्रीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, यदि उनके डिस्चार्ज प्रमाणपत्र में पूर्व की सेवा को अच्छा या उच्चतर वर्गीकरण/ग्रेडिंग के तौर पर दर्शाया जाता है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर प्रधान सिपाही (सहायक वायरलैस ऑपरटर/ टेली-फ़्रिंटर ऑपरटर) के तौर पर पुनः भर्ती किये जाने के पात्र हैं, बशर्ते कि वे खुली प्रतियोगिता से प्रधान सिपाही (सहायक वायरलैस ऑपरटर/टेली-फ़्रिंटर ऑपरटर) के लिए शैक्षणिक मानदंडों की पूर्ति करते हैं और आवश्यक स्थायी आदेश जारी करते हुए समय-समय पर पुलिस आयुक्त द्वारा निर्धारित क्षमता/दक्षता परीक्षणों में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। तथा वे संरूटों के लिये निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पुलिस सेवा के लिए चिकित्सा की दृष्टि से योग्य हैं।

टिप्पणी:

I. भूतपूर्व सैनिक जो पहले ही अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए गए आरक्षण के लाभ लेकर नियमित आधार पर समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ पदों में केंद्रीय सरकार के अधीन (राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमां/स्वायत संस्थाओं/सांविधिक संस्थाओं/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, शुल्क में छूट अथवा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिये पात्र नहीं हैं। यद्यपि वे केवल आयु में छूट के लिए पात्र हैं।

II. सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक के तौर पर “कॉल अप सर्विस” की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य के लिये सशस्त्र बलों में की गई सेवा माना जायेगा।

III. संघ के तीन सशस्त्र बलों के किसी भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के तौर पर समझे जाने के लिये, उसने पहले ही पद/सेवा के लिये अपना आवेदन प्रस्तुत करने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया होना चाहिए और/अथवा सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी सबूत से अपनी अपेक्षित पात्रता स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए कि यह आवेदन पत्र की बंद होने की तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों से नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेगा।

व्याख्या:

संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो कि सेवा से निवृत्ति पर, “भूतपूर्व सैनिक” की श्रेणी के अंतर्गत आ जायेंगे को नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिये आवेदन करने और भूतपूर्व सैनिक के तौर पर उपलब्ध सभी रियायतें लेने की अनुमति दी जा सकती है परंतु उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि को पूरा नहीं कर लेते।

ऐसे सभी उम्मीदवारों को जो कि सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक हैं, विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसमें साफ तौर पर उनकी सशस्त्र बलों से डिस्चार्ज होने की तिथि का उल्लेख किया गया हो। डिस्चार्ज होने की तिथि/सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने की तिथि आवेदन पत्र के बंद होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिये। अनापत्ति प्रमाणपत्र, जिसमें सशस्त्र बलों से डिस्चार्ज की तिथि का कोई उल्लेख नहीं होगा; उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उनके आवेदनों को बगैर कोई कारण बताए नामंजूर कर दिया जायेगा।

8. भर्ती की पद्धति:

चयन प्रक्रिया में नीचे क्रमानुसार दी गई अनिवार्य परीक्षाएं शामिल होंगी:-

टेस्ट/परीक्षाएं	अधिकतम अंक / अर्हक
(i) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	100 अंक
(ii) शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाएं (पीईएंडएमटी)	अर्हक (स्वालीफाइंग)
(iii) ट्रेड परीक्षा (पठन और श्रुतलेख)	अर्हक (स्वालीफाइंग)
(iv) कम्प्यूटर संचालन में दक्षता की परीक्षा:-	अर्हक (स्वालीफाइंग)
<ul style="list-style-type: none">अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग गति का टेस्ट-15 मिनटों में 1000 की-डिप्रेशन्स। कम्प्यूटर कार्यों का बुनियादी ज्ञान-पीसी की ओपनिंग/क्लोजिंग, प्रिंटिंग एमएस ऑफिस का प्रयोग, टंकित पाठ में सेविंग और सुधार करना, पैराग्राफ सेटिंग एवं नंबरिंग आदि	
अंतिम परिणाम	100 अंक

9. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा-वस्तुनिष्ठ प्रकार:

सभी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा से गुजरना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होंगे। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र केवल हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि (सभी पांचों भागों के लिए
भाग--क	सामान्य जागरूकता	20	20
भाग--ख	सामान्य विज्ञान	25	25
भाग--ग	गणित	25	25
भाग--घ	रिजनिंग	20	20
भाग--ङ	कम्प्यूटर मौलिक ज्ञान, एमएस एक्सल, एमएस वर्ड, कम्प्यूनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर्स आदि	10	10
	कुल	100	100

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निर्देशित पाठ्यक्रम:

(क) सामान्य जागरूकता: प्रश्नों को उम्मीदवार के उसके आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता और समाज पर इसके अनुप्रयोग की जांच के लिये तैयार किया जाता है। प्रश्नों को उसके ताज़ा घटनाक्रमों तथा रोजमर्रा अवलोकित होने वाले मामलों की जानकारी और वैज्ञानिक पहलु में उनके अनुभव की जांच करने के लिए भी तैयार किया जाता है जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। परीक्षा में भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा। ये प्रश्न कुछ इस तरह के होंगे कि इनके लिए किसी विषयक्षेत्र के विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) सामान्य विज्ञान:

भौतिकी: थर्मोडायनामिक्स, यांत्रिकी, न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, गति, दबाव, माप की इकाइयां, ध्वनि, ताप और तापमान, इलेक्ट्रॉनिक्स, चुंबकत्व, ओहम के नियम, संख्या प्रणाली, फाइबर ऑप्टिक्स, संचार की विधा आदि जैसे विषयों की मूल अवधारणाओं की समझ

कैमिस्ट्री: रोजमर्रा के जीवन की कैमिस्ट्री, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन, महत्वपूर्ण उत्क्षेपक, प्रतिक्रियाएं, रसायनों के व्यावसायिक अनुप्रयोग, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, परिभाषा आधारित प्रश्न, अमल (गंधक का अमल, हाइड्रोजेनोक्साइड), परमाणु संख्या, तत्व और उनके प्रतीक तथा इलेक्ट्रो रसायन आदि

(ग) गणित: संख्या प्रणाली, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाम, हानि और छूट, समय, दूरी और कार्य, बीजगणित (समीकरण, सर्वेक्षण, संकेत, रेखांकन), ज्यामिति, मेन्सुरेशन, त्रिकोणमिति, डेटा व्याख्या, अनुक्रम और अनुक्रम श्रृंखला, क्रम परिवर्तन और संयोजन तथा सरलीकरण

(घ) रिजनिंग: गैर मौखिक रिजनिंग (आंकड़े), सादृश्य, अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला, अंक श्रृंखला, महत्वपूर्ण सोचविचार, कोडिंग और डी-कोडिंग, लॉजिकल रिजनिंग, इनपुट-आउटपुट, रक्त संबंध, सिलियोलिज्म, टेबल, डायरेक्शन/रैकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम्स, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडेड असमानताएं और डेटा पर्याप्तता

(ङ) कम्प्यूटर की मूलभूत बातें, एमएस एक्सल, एमएस वर्ड, कम्प्यूनिकेशन, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर्स आदि:

इस पेपर में निम्नलिखित पर प्रश्नों को शामिल किया जायेगा:

- एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग (वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, डॉक्यूमेंट्स खोलना और बंद करना, टेक्स्ट क्रिएशन, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और इसकी प्रस्तुतिकरण विशेषताएं)।
- एमएस एक्सल (एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेड शीट, सैल्स की एडिटिंग, फंक्शन और फार्मूला)
- कम्प्यूनिकेशन (ई-मेल की बेसिक्स, ई-मेल भेजना/प्राप्त करना और इसके संबद्ध संकायी)
- इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर्स (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएं, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेबसाइटें, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्वर इंजिनर्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग) आदि।

10. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी डिस्पले /अपलोड करना:

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद, परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर डिस्पले/अपलोड की जायेगी। जो उम्मीदवार कैचरड रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं हैं, चुनौती दिए गए प्रत्येक प्रश्न/उत्तर के समर्थन में ₹100/- शुल्क के साथ सबूत/दस्तावेजों/समाधान के साथ आवेदन/अभ्यावेदन दायर करते हुए उत्तर कुंजी की अपलोडिंग के 15 दिनों के भीतर चुनौती दे सकते हैं। अभ्यावेदन और शुल्क स्वीकार करने के लिये ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। हालांकि चुनौतियों पर पुलिस आयुक्त, दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा और बाद में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी स्थिति में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं (पीईएंडएमटी) में उपस्थित होने के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा:

प्रत्येक वर्ग अर्थात् सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक (वर्गानुसार) में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के बौंस (20) गुणा के बराबर उन उम्मीदवारों को जो कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की मैरिट रैंज में आते हैं तथा न्यूनतम 40% अंक सामान्य/ईडब्ल्यूएस वर्ग में (95% अंक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत 30% अंक) प्राप्त करते हैं, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं के लिए बुलाया जाएगा। समान अंकों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के होने पर संबंधित श्रेणी के लिये उक्त समान अंकों वाले सभी उम्मीदवारों को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं (पीईएंडएमटी) के लिए बुलाया जायेगा।

11. शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाएं (पीईएंडएमटी):

विटु 5(IV)(क) और विटु 5(IV)(ख) में यथा निर्धारित शारीरिक क्षमता परीक्षाओं (दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद) में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड परीक्षा अर्थात् ऊंचाई/सीना (पुरुष उम्मीदवार) और ऊंचाई (महिला उम्मीदवार) में उपस्थित होना होगा। जो उम्मीदवार अपने शारीरिक मापदंड से संतुष्ट नहीं होते हैं उन्हें शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) वाले दिन ही अयोग्यता के खिलाफ एक अपील करनी होगी। बाद के चरण में किसी भी आवेदन/अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. पात्रता मापदंड के लिए मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की जांच:

शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं (पीईएंडएमटी) की सभी स्पेड्वाओं में सफल घोषित किए जाने के उपरांत आयु, शिक्षा, जाति, पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित सभी मूल दस्तावेज/प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र/डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिक के मामले में), खेल प्रमाणपत्र, विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से अलग हुई महिला के तौर पर आयु में छूट लेने का सबूत, दिल्ली पुलिस में सेवारत विभागीय उम्मीदवारों के मामले में सेवा प्रमाणपत्र जिसमें भर्ती की तिथि का उल्लेख हो और दिल्ली पुलिस कार्मिक के बच्चे संबंधी प्रमाणपत्र और यदि पूर्व से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संगठनों में सेवारत हैं तो अनापत्ति प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी। दस्तावेजों की अंतिम जांच "नियुक्ति पत्र जारी" करने के समय भी पुनः की जायेगी। उम्मीदवारों को सभी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।

13. ट्रेड परीक्षा (पठन और श्रुतलेख)-(अर्हक):

शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षाओं (पीईएंडएमटी) में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ट्रेड परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा। ट्रेड परीक्षा (पठन और श्रुतलेख) उम्मीदवार की संदेश प्रेषित और प्राप्त करने की क्षमता के मूल्यांकन के लिए है। परीक्षा पठन और श्रुतलेखन के रूप में होगी। उम्मीदवारों को समूहों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं, दोनों में श्रुतलेख दिया जाएगा जिसमें एक समूह में श्रुतलेखन के लिए उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार शामिल होंगे। हिंदी अथवा अंग्रेजी में 50% या अधिक त्रुटियां रखने वाले उम्मीदवार अयोग्य हो जाएंगे। पठन परीक्षा के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए गए एक अंश को पढ़ना अपेक्षित होगा।

14. कम्प्यूटर संचालन में दक्षता की परीक्षा (अर्हक):

ट्रेड परीक्षा (पठन और श्रुतलेख) में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए कम्प्यूटर संचालन में दक्षता की परीक्षा के लिए उपस्थित होना अपेक्षित होगा जो कि अर्हक प्रकृति की होगी (i) अंग्रेजी शब्द संसाधन की परीक्षा गति-15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन (ii) बुनियादी कम्प्यूटर कार्यों की परीक्षा (पीसी को खोलना/बंद करना, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस प्रयोग, टंकित पाठ की सेविंग और सुधार करना, पैराग्राफ सेटिंग तथा नंबरिंग आदि)।

(I) अंग्रेजी शब्द संसाधन गति परीक्षा:

अंग्रेजी शब्द संसाधन परीक्षा 15 मिनट में गति-1000 की डिप्रेशन कम्प्यूटर पर आयोजित की जाएगी और प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए 200 शब्दों के अंग्रेजी में मुद्रित अंश के अनुसार शब्दों की सही प्रविष्टि/की डिप्रेशन के आधार पर मूल्यांकित की जायेगी, जिसकी उसी रूप में उम्मीदवार एमएस ऑफिस में वर्ड फॉर्मेट में कम्प्यूटर में प्रविष्टि करेंगे।

टिप्पणी: 25 या अधिक गलतियां करने वाले उम्मीदवार अयोग्य हो जायेंगे।

(II) बुनियादी कम्प्यूटर कार्यों की परीक्षा:

(पीसी को खोलना/बंद करना, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस प्रयोग, टंकित पाठ की सेविंग और सुधार करना, पैराग्राफ सेटिंग तथा नंबरिंग आदि)।

निम्नलिखित फॉर्मेटिंग फीचर्स का परीक्षण किया जाना चाहिए:-

एमएस-वर्ड	समय: 5 मिनट
(I) अंडरलाइन	(VI) पेज नंबरिंग
(II) विभिन्न प्रकार के फॉन्ट का प्रयोग	(VII) टेबल को ड्रॉ/इन्सर्ट करना
(III) पैराग्राफों के नंबर देना	(VIII) बुलेट्स/नंबरिंग
(IV) टेक्स्ट को बोल्ड में सेलेक्ट करना	(IX) केस चेंज करना
(V) विभिन्न प्रकार के फॉन्ट आकार का प्रयोग	(X) पैराग्राफों की सेटिंग

एमएस-पावर प्वाइंट	समय: 5 मिनट
(I) टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग	(VI) इन्सर्ट विल्याआर्ट
(II) इन्सर्ट चार्ट	(VII) स्लाइड नंबरिंग
(III) वर्ड आर्ट के साथ टेक्स्ट इन्सर्ट करना	(VIII) इन्सर्ट पिक्चर
(IV) स्लाइड की बैकग्राउंड स्टाइल	(IX) बुलेट्स/नंबरिंग
(V) स्लाइड का डिजाइन	(X) टेक्स्ट की अलाइनमेंट

एमएस-एक्सल	समय: 5 मिनट
(I) मर्ज सैल्स	(VI) फॉन्ट स्टाइल
(II) टेक्स्ट को सेंटर करना	(VII) फॉन्ट कलर
(III) टेक्स्ट को सेंटर अलाइन	(VIII) टेक्स्ट को बोल्ड करना
(IV) शेप्स इन्सर्ट करना	(IX) टेक्स्ट अंडरलाइन करना
(V) फॉन्ट साइज़	(X) इटैलिक्स

फॉर्मेटिंग के प्रत्येक फीचर के लिए 1/2 अंक के साथ प्रत्येक परीक्षा में ऊपर सूचीबद्ध किए अनुसार फॉर्मेटिंग के 10 फीचर्स की जांच की जायेगी। फॉर्मेटिंग फीचर्स के मामले में यदि उम्मीदवार नमूने के अनुसार फॉर्मेटिंग करते हैं, प्रत्येक के लिए 1/2 अंक दिए जायेंगे। अन्यथा कोई अंक नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक परीक्षा के लिए फॉर्मेटिंग फीचर्स के लिए 5 अंकों में से उम्मीदवार को अर्हता के लिए प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 3 अंक प्राप्त करने चाहिए। एडिटिंग टूल्स के प्रयोग द्वारा गलतियां सुधारने के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई रोक नहीं है।

16. अंतिम परिणाम:

(I) कम्प्यूटर संचालन में दक्षता की परीक्षा में अर्हक (क्वालीफाइड) उम्मीदवारों की सूची में से चयनित उम्मीदवारों की सूची (विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अनुरूप) (श्रेणीवार) पूर्णतः कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (100 अंकों) की मैरिट के आधार पर तैयार की जायेगी।

(II) अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. उम्मीदवार, जिनका चयन अन्य समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के साथ बिना मानदंड छूट के उनकी अपनी स्वयं की मैरिट पर होता है, उन्हें अपने वर्ग की आरक्षित भाग की रिक्तियों के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जायेगा। ऐसे अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. उम्मीदवारों को उनकी सम्पूर्ण मैरिट सूची में स्थान के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित किया जायेगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. उम्मीदवारों में से भरा जायेगा जिसमें वे अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. उम्मीदवार होंगे जो अनारक्षित श्रेणी की मैरिट सूची में अंतिम सामान्य उम्मीदवार से मैरिट में नीचे हैं परंतु छूट प्रदत्त मानदंडों से नियुक्ति के लिए अन्य प्रकार से सुयोग्य पाए जाते हैं।

(III) ईडब्ल्यूएस से संबंधित किसी व्यक्ति को अनारक्षित श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्द्धा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्ति जिसका चयन मैरिट के आधार पर किया जाता है और आरक्षण के तहत नहीं है, उसकी गणना आरक्षण हेतु रखे गए कोटा के तहत नहीं की जायेगी।

(IV) उम्मीदवारों को पद के लिए यथा निर्धारित चिकित्सा फिटनेस तथा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन के विषयाधीन अंतिम तौर पर चयनित किया जाएगा।

टिप्पणी: सभी चयनित उम्मीदवारों के मामलों पर, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज/जांच लंबित/अदालत में दायर लंबित है कानून के अनुसार स्थायी आदेश सं. 398/2018 के प्रावधानों के अनुरूप विचार किया जायेगा। चयनित विभागीय उम्मीदवारों के मामले, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/प्रारंभिक जांच/आपराधिक मामला/सतर्कता जांच आदि लंबित है, उनके मामलों को अंतिम रूप से निपटारा होने तक लंबित रखा जायेगा।

17. समान अंकों के मामलों का समाधान:

उन मामलों में जहां एक से अधिक उम्मीदवार समान कुल अंक अर्जित कर लेते हैं, बराबरी के मामले को नीचे वर्णित एक के बाद एक पद्धतियों से सुलझाया जायेगा:-

i) आयु में बड़े उम्मीदवारों को वरीयता दी जायेगी।

ii) यदि जन्म तिथि और कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अंक भी समान हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रमानुसार जिस उम्मीदवार का नाम पहले आता है, उसके आधार पर मामले को हल किया जायेगा।

18. परीक्षाओं के संबंध में अनुदेश:

(i) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी), ट्रेड परीक्षा और कम्प्यूटर संचालन में दक्षता परीक्षा की तिथि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर अधिसूचित की जायेगी।

(ii) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा और पद के लिये निर्धारित अन्य परीक्षाओं के लिये प्रवेश-पत्र दिल्ली पुलिस वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर अपलोड किए जायेंगे। उम्मीदवार दिल्ली पुलिस वेबसाइट से बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अलग से कोई बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।

(iii) दिल्ली पुलिस कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता तथा अन्य पहलुओं के लिये आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगी तथा, इस प्रकार उम्मीदवारी केवल अस्थायी तौर पर स्वीकार की जायेगी।

(iv) किसी भी स्थिति में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिये परीक्षा के केंद्र में किसी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के पास किसी भी केंद्र को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा वह उस केंद्र के उम्मीदवारों को अन्य केंद्र पर उपस्थित होने के लिये कह सकती है। दिल्ली पुलिस के पास किसी केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देने के लिए जाने को कहने का अधिकार भी सुरक्षित है।

(v) उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल उपकरण के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को परीक्षा/परीक्षणों के दौरान मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल उपकरण आदि लेकर नहीं आना चाहिये। ऐसे उपकरणों को रखना, भले ही प्रयोग में हैं या नहीं, परीक्षा में "अनुचित तरीकों का प्रयोग" माना जायेगा और ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(vi) पद के लिए यथा निर्धारित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा/ट्रेड परीक्षा/कम्प्यूटर संचालन में दक्षता की उत्तर पुस्तिका के पुनःमूल्यांकन अथवा किसी अन्य परीक्षण/परीक्षाओं के पुनः आयोजन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vii) दिल्ली पुलिस के पास कम्प्यूटर आधारित परीक्षा से कोई भी प्रश्न/प्रश्नों को निरस्त करने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

(viii) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा अर्जित अंक सामान्यीकरण प्रक्रिया के विषयाधीन होंगे जिसे इक्वी-पर्सैटाइल इक्विटिंग कहा जाता है। इस प्रकार उत्पन्न और सामान्यीकृत पर्सैटाइल रैंकों को मैरिट को अंतिम रूप देने के लिए इनपुट मानदंड के तौर पर प्रयोग में लाया जायेगा।

19. बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:

पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली पुलिस के विभिन्न नियंत्रण कक्षों में सहायक वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर तीन माह के व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित वायरलेस, एडब्ल्यूओ ग्रेड-III पाठ्यक्रम के तौर (09) माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दिल्ली में प्रशिक्षण केंद्र पर आवासीय बौद्धिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरना होगा जिसमें रेडियो प्रक्रिया, रेडियो सिद्धान्त, प्रैक्टिकल, मोर्स सेंडिंग/रीसिविंग और दिल्ली पुलिस में आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणालियां शामिल हैं। पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज/स्कूल में शिक्षण का माध्यम हिंदी होगा।

20. महत्वपूर्ण अनुदेश:

- चौतावनी : आवेदन प्रपत्र में झूठी सूचना दिया जाना अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाना, पद के लिए अयोग्यता मानी जायेगी। दस्तावेज/ प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी का किसी भी चरण में पता चलने पर उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के अलावा उम्मीदवार के विरुद्ध कानून के अनुसार आपराधिक मामला भी दर्ज किया जायेगा।
- उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सूचना वेबसाइट: www.delhimpolice.nic.in पर भी उपलब्ध है।
- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की पद्धति दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhimpolice.nic.in पर उपलब्ध है।
- अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग व्यक्तियों के तौर पर आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वे सूचना में यथा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। उनके पास निर्धारित प्रारूप में अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र भी होने चाहिये क्योंकि शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईंडएमटी) के समय उनसे प्रमाणपत्रों की प्रतियां मांगी जायेगी। अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके पास इस सूचना में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है। अपेक्षित दस्तावेजों के बगैर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को आगे परीक्षा/टैस्ट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- पात्रता, आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने, झूठी सूचना के लिए दण्ड, चयन की पद्धति, परीक्षा/टैस्ट के आयोजन, परीक्षा केंद्र के आबंटन और मैरिट को तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में दिल्ली पुलिस का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिये बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- न्यायालयीय क्षेत्राधिकार: इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद और गतिरोध केवल दिल्ली की अदालतों/प्राधिकरणों की प्रादेशिक सीमा के अधीन होगा।
- मोबाइल और सहायक उपकरण तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा/टैस्ट स्थलों के परिसरों के भीतर प्रतिबंधित हैं। ऐसे उपकरण रखने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। दिल्ली पुलिस इन्हें रखने को अनुचित तरीकों का प्रयोग मानेगी।
- आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन पद्धति से स्वीकार किए जायेंगे। किसी अन्य पद्धति से आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी उसी समय नामंजूर कर दी जायेगी।
- अनेक आवेदन प्रस्तुत करना: उम्मीदवारों को केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। एक से अधिक आवेदन की स्थिति में केवल अंतिम आवेदन मान्य होगा। यह सुनिश्चित करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह इस परीक्षा-2019 के लिए केवल एक बार उपस्थित होता है। किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि वह उक्त परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित हुआ है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- अपूर्ण आवेदनों को तत्काल नामंजूर कर दिया जायेगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। ऊपर वर्णित अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी आवेदन-पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा और दिल्ली पुलिस उम्मीदवार को पेश आने वाली किसी इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट संबंधी समस्या आदि के लिये जिम्मेदार नहीं होगी।
- दिल्ली पुलिस के पास प्रशासनिक कारणों से और परीक्षा/टैस्ट में अनुचित तरीके, धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं/कदाचारों का पता चलने पर परीक्षा के किसी भाग या समूची प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- दिल्ली पुलिस ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा होने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को एसएमएस/ई-मेल के द्वारा पावती प्रेषित करेगी।
- किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार दिल्ली पुलिस भर्ती प्रकोष्ठ सहायता केंद्र (हैल्पडेस्क) भर्ती प्रकोष्ठ, नई पुलिस लाईन, किंगज्वे कैम्प, दिल्ली-110009 में नीचे दिये गये फोन नंबरों पर शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं:
011-27412715 011-27241205 011-27241206
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा और पद के लिये निर्धारित अन्य परीक्षाओं के समय) तत्काल संदर्भ के लिये तैयार रखें। उम्मीदवारों को कम से कम दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ और एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वासविद्यालय/कॉलेज से जारी पहचान पत्र, आयकर रैन कार्ड, नियोक्ता आईडी कार्ड मूल रूप में परीक्षा केंद्र पर लेकर आना चाहिये, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र को सीधे ही निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि किसी भी चरण में उम्मीदवार की अपात्रता का पता चलता है तो बगैर सूचना दिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- पहले से घोषित अनुसूची में कोई भी परिवर्तन उपायुक्त पुलिस/भर्ती, नई पुलिस लाईन, किंगज्वे कैम्प, दिल्ली-110009 के नोटिस बोर्ड और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट: www.delhimpolice.nic.in पर घोषित किया जायेगा।
- दिल्ली पुलिस में भर्ती पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष और आवेदकों के प्रदर्शन के आधार पर होती है। दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए नकद या अन्य प्रकार से कोई धनराशि का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। यदि उनसे कोई व्यक्ति धन या किसी अन्य प्रकार का लाभ उठाने के लिए संपर्क करता है तो वे इस मामले की सूचना पुलिस उपायुक्त/भर्ती, नई पुलिस लाईन, किंगज्वे कैम्प, दिल्ली अथवा स्थानीय पुलिस को दे सकते हैं।
- उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- शब्दों/अनुदेशों की व्याख्या में कोई भी अंतर होने पर अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा।
- अस्वीकरण: इस विज्ञापन और वेबसाइट में दी गई सूचना केवल निर्देशात्मक है। किसी प्रकार की अस्पष्टता के मामले में दिल्ली पुलिस/भारत सरकार के मौजूदा नियम और विनियम अंतिम होंगे।

(एम.आई. हैदर) उपायुक्त पुलिस, स्थापना, दिल्ली

अनुलग्नक-क	जारीकर्ता प्राधिकारी से विधिवत हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
फार्म-1	
(किसी एक मान्यता प्राप्त स्पर्धा/खेलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)	
की राष्ट्रीय परिसंघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन (भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)	
केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार के लिये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	जन्म तिथि.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....	जन्म तिथि.....
निवासी.....	तक.....(पूर्ण पता) में
आयोजित.....	प्रतियोगिता/दूर्नमित में.....
में देश का प्रतिनिधित्व किया है।	की राष्ट्रीय एसोसिएशन के
ऊपर वर्णित प्रतियोगिता/दूर्नमित में व्यक्तिगत/टीम में प्राप्त स्थान.....था।	
यह प्रमाणपत्रकी राष्ट्रीय परिसंघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा रहा है।	
स्थान.....	हस्ताक्षर.....
तिथि.....	नाम.....
	पदनाम.....
	परिसंघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम.....
	पता.....
नोट: यह प्रमाणपत्र केवल तभी वैध माना जाएगा जब इस पर सचिव, राष्ट्रीय परिसंघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन ने हस्ताक्षर किए होंगे।	
फार्म-2	अनुलग्नक-ख
(किसी एक मान्यता प्राप्त स्पर्धा/खेलों में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये)	जारीकर्ता प्राधिकारी से विधिवत हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
.....खेल मेंराज्य की एसोसिएशन (भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)	
केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....	पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....
जन्म तिथि.....	निवासी.....
में आयोजित.....(पूर्ण पता) ने	से.....
में.....राज्य का प्रतिनिधित्व किया है।	खेल/स्पर्धा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता/दूर्नमित
ऊपर वर्णित प्रतियोगिता/दूर्नमित में व्यक्तिगत/टीम में प्राप्त स्थान.....था।	
यह प्रमाणपत्रकी राज्य एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा रहा है।	
स्थान.....	हस्ताक्षर.....
तिथि.....	नाम.....
	पदनाम.....
	राज्य एसोसिएशन/परिसंघ का नाम.....
	पता.....
	मोहर.....
नोट: यह प्रमाणपत्र केवल तभी वैध माना जायेगा जब इस पर सचिव, राज्य एसोसिएशन ने हस्ताक्षर किए होंगे।	अनुलग्नक-ग
अ.जा./अ.ज.जा. प्रमाण-पत्र का प्रारूप	
जो अर्थव्यर्थी, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में जिले, जिसमें उसके माता-पिता (या उत्तरजीवी माता-पिता) सामान्यतः निवास करते हैं, के जिलाधिकारी अथवा सब डिवीजनल अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से, जिसे ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है, नीचे दिए गए फॉर्म में प्रमाणपत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति जमा करना होगा। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए, जिसमें अर्थव्यर्थी स्वयं अपनी शिक्षा के अलावा अन्य उद्देश्य से सामान्यतः निवास करता है।	
(भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अर्थव्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप)	
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो श्री.....के पुत्र/पुत्री हैं और गाँव/शहर.....राज्य/संघशासित* क्षेत्र जिला/खिवोजन*.....जाति/जनजाति से संबंधित है, जिसे निम्नानुसार का निवासी है और.....जाति/जनजाति से संबंधित है, जिसे निम्नानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है:	
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951*	
अनुसूचित जाति और जनजाति (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित	
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959* , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962* संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964*	

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @
 संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @
 संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 @
 संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 @
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 @
 संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 @
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, अधिनियम, 1990 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996
 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

%2. एक राज्य/संघशासित प्रदेश से उत्पन्न अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू।

2. यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती जो श्री/श्रीमती/कुमारी* के माता/पिता हैं और जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र* के जिला/डिवीजन* में गांव/शहर के निवासी हैं, और जो जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे द्वारा दिनांक को जारी पत्र द्वारा राज्य/संघशासित क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी और/या* उसका परिवार सामान्यतः राज्य/संघशासित क्षेत्र के जिला/डिवीजन* के गांव/शहर* में सामान्यतया निवास करता है. राज्य/संघशासित क्षेत्र.....

हस्ताक्षर
 **पदनाम
 (कार्यालय की मुहर सहित)
 स्थान.....
 तिथि

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें @ कृपया विनिर्दिष्ट राष्ट्रपति आदेश का उल्लेख करें % जो लागू न हो, उस अनुच्छेद को काट दें।

नोट : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः निवास करता है का वही अर्थ है जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1980 के अनुच्छेद 20 में है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सूची:

- जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- कम से कम तहसीलदार के स्तर का राजस्व अधिकारी
- उस क्षेत्र का सब-डिवीजनल अधिकारी, जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतया निवास करता है

नोट : तमिलनाडु राज्य से संबंधित अ.ज.जा. अभ्यर्थी केवल मण्डल राजस्व अधिकारी से ही जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

अनुलग्नक-घ

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी ग्राम.....जिला/.....राज्य.....में समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इस जाति को(उप जाति का उल्लेख करें)। के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है :

- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, सेक्शन-1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बी सी सी (सी) दिनांक 10 सितम्बर, 1993
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, सेक्शन-1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्टूबर, 1994, को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94 बी सी सी, दिनांक 19 अक्टूबर 1994.
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, सेक्शन-1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/07/95-बी सी सी, दिनांक 24 मई, 1995
- संकल्प संख्या 12011/96/94-बीसीसी दिनांक 09/03/96
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, सेक्शन-1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96-बी सी सी, दिनांक 06 दिसम्बर, 1996
- संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी दिनांक 03/12/97
- संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी दिनांक 11/12/97
- संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी दिनांक 27/10/99
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, सेक्शन-1, संख्या 270 में दिनांक 6 दिसम्बर 1999 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 6/12/99
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, सेक्शन-1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, सेक्शन-1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितंबर, 2000 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/99-बीसीसी, दिनांक 21/09/2000
- संकल्प संख्या 12015/9/2000-बीसीसी दिनांक 06/09/2001
 - संकल्प संख्या 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 19/06/2003
 - संकल्प संख्या 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13/01/2004
 - भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 सेक्शन 1 संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 16/01/2006

श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या उनका परिवार सामान्यतः..... जिला.....राज्य.....में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था० (एससीटी) दिनांक 08.09.1993, जो कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या

36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) दिनांक 09.03.2004 के तहत संशोधित किया गया है, के कालम-3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (संपन्न वर्गों) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

दिनांक :..... जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी मुहर

- टिप्पणी:**
- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' का अर्थ वही है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 20 में किया गया है।
 - जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों का उल्लेख नीचे किया गया है:-
 - जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/(जो प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट के रैंक से कम न हो)
 - चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
 - राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से कम न हो;
 - उस क्षेत्र का उपमण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार सामान्यतः निवास करता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वचनपत्र

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी गांव/नगर/शहरजिलाराज्यएतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं(अपनी उप जाति का उल्लेख करें) समुदाय से संबंधित हूं जिसकी भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय आदेश संख्या 36012/22/93 स्था (एससीटी) के अनुसार एक पिछड़े वर्ग के रूप में सरकारी सेवा में आरक्षण देने के उद्देश्य से पहचान की गई है, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं दिनांक 08.09.1993 के ऊपर वर्णित कार्यालय ज्ञापन, तथा इसके बाद जारी का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्थापना (आरक्षण), दिनांक 09.03.2004, के कॉलम 3 में दर्शाए गए व्यक्तियों, वर्गों (संपन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

स्थान:.....
 तारीख:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
 उम्मीदवार का नाम

अनुलग्नक-ङ

.....सरकार (प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र संख्या..... तिथि:.....

.....वर्ष के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य/संघ शासित प्रदेश.....पिनकोड.....का/की स्थाई निवासी है, जिसका फोटोग्राफ नीचे सत्यापित किया गया है, और वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है, क्योंकि उसके परिवार** की वित्तीय वर्षके लिए सकल वार्षिक आय* ₹8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है/संपत्ति का स्वामी नहीं है***:-

- 5 एकड़ और अधिक कृषि भूमि
 - 1000 वर्ग फुट और अधिक का आवासीय प्लॉट
 - अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और अधिक का आवासीय प्लॉट
 - अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और अधिक का आवासीय प्लॉट
2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....से संबंधित है जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) से संबंधित नहीं है।

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

हस्ताक्षर, साथ में कार्यालय मुहर.....
 नाम.....
 पदनाम.....

- *टिप्पणी 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात् वेतन, कृषि, बिजनेस, व्यवसाय आदि
- **टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त शब्द 'परिवार' में वह व्यक्ति, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता और भाई बहन जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और पति-पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं।
- ***टिप्पणी 3: "परिवार" द्वारा विभिन्न ठिकानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपत्ति को ईडब्ल्यूएस दर्जे के निर्धारण के लिए भूमि या संपत्ति धारिता जांच करते समय परस्पर जोड़ दिया गया है।

अनुलग्नक-च

अभ्यर्थी को सेवारत/सेवानिवृत्त/दिल्ली पुलिस के मृत कार्मिक के बच्चे के तौर पर दर्शाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....(दिल्ली पुलिस कार्मिक का नाम), रैंक..... रेंज/पेटी सं./पीआईएस सं.....जिला/शाखा.....में.....से सेवारत/सेवानिवृत्त है/मृत्यु हो गई है। उसका पुत्र/पुत्री.....(नाम) दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (सहायक वायरलेस ऑपरटर/टेली-प्रिंटर ऑपरटर) की भर्ती की परीक्षा में अनंतिम रूप से उपस्थित होना चाहता/चाहती है।

संबंधित जिला/शाखा के उपायुक्त पुलिस/अति. उपायुक्त पुलिस/सहायक आयुक्त पुलिस/ मुख्यालय
 (अधिकारी का नाम और पदनाम साथ में मुहर)

दिनांक:.....

अनुलग्नक-छ

सेवारत रक्षा कार्मिक के लिए प्रमाणपत्र का फार्म मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (सं.).....(रैंक)(नाम) सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि(तिथि) को पूरा कर लेगा।

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)
 स्थान:..... कार्यालय मुहर
 दिनांक:.....